



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19052022-235869
CG-DL-W-19052022-235869

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, मई 8—मई 14, 2022, शनिवार/वैशाख 18—वैशाख 24, 1944
No. 18] NEW DELHI, MAY 8—MAY 14, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 18—VAISAKHA 24, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

सा.का.नि. 70.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (कनिष्ठ विश्लेषक) भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने के लिए लोप किया गया है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक के पद की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, (कनिष्ठ विश्लेषक), भर्ती नियम (संशोधन), 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो साथ उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार सहमत होती है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति - केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ विश्लेषक।	02* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'ख',	स्तर - 7 (रु. 44,900 - 1,42,400/-)	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
--	---	---	--------------------------------

(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया हो। 6(a) निर्णायक विवरण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया हो। 6(b) शिथिलता विवरण: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	आवश्यक: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अपराधशास्त्र में मास्टर डिग्री। अनुभव: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों के अधीन किसी संगठन में अनुसंधान और क्षेत्रीय कार्य तथा सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और निर्वचन में दो वर्षों का अनुभव। वांछनीय: सामाजिक अनुसंधान या सुधारात्मक प्रशासन या पुलिस विज्ञान या विधि या लोक प्रशासन या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1.- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2.- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। नोट:- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पिछले दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।

भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
1. 50% प्रोन्नतिद्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन-मैट्रिक्स के स्तर - 6	समूह 'ख' विभागीय	सीधी भर्ती द्वारा पद भरे

2. 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	(रु. 35,400 -1,12,400/-) में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो काडर के ऐसे ज्येष्ठ अन्वेषक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो और संबंधित क्षेत्र में 2 - 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1. : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है। प्रोन्नति को लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2. : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य-क्षेत्रों के अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर— 6 (रु 35,400-1,12,400/-) या समकक्ष में नियुक्ति	प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं स्थायीकरण हेतु) (i) निदेशक/ महानिरीक्षक, पु.अ.वि.ब्यूरो - अध्यक्ष; ii) उप निदेशक/ उप महानिरीक्षक, पु.अ.वि.ब्यूरो - सदस्य; (iii) उप सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय - सदस्य।	जाने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।
--	--	---	--

	पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 7 में निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	---	--	--

[फा. सं. 23011/182/2016-पीटी/बीपीआरएंड डी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3(i) सा.का.नि. 468 में तारीख 22/4/1972 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 292 तारीख 02/12/2006 एवं सा.का.नि.933 तारीख 30/09/2016 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th May, 2022

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Junior Analyst, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst in the Bureau of Police Research and Development under Ministry of Home Affairs, namely: -

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development, Junior Analyst, Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay level in the pay matrix	Whether Selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	₹	(5)
Junior Analyst.	02* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 Years.- (relaxable for govt. servants up to five years in accordance with instructions or orders issue by the central govt.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertisement by the Union Public Commission: 6(a) Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Commission.	Essential: Master's Degree in Social Work or Sociology or Criminology of a recognized university. Experience: Two years experience of research or field work and collection, compilation and interpretation of statistical data from any organisation handling statistical data under Central Government, State Government or Union territories. Desirable: At least one year experience in the field of Social Research or Correctional Administration or Police Science or Law or Public Administration or Psychology or Sociology or Economics or Political Science. Note 1. - Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2. - The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of	No.	Two years for direct recruits. Note: - There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

6(b) Relaxable description: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	selection the Union Public Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
---	--	--	--

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption; level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
1. 50% promotion failing which by deputation; 2. 50% deputation failing which by direct recruitment.	Promotion: Senior Investigator of Bureau of Police Research Development cadre in the pay level 6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field. Note 1. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): 1. Director/ Inspector General, Bureau of Police Research and Development. - Chairman 2. Deputy Director/ Deputy Inspector General, BPR&D - Member 3. Deputy Secretary or Director Ministry of Home Affairs. -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post by direct recruitment.

	regular basis in post in the pay level 6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Column 7. Note 1. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		
--	---	--	--

[F. No. 23011/182/2016-PT/BPR&D]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) GSR No. 468 dated 22/04/1972 and subsequent amendments GSR No. 292 dated 02/12/2006 and GSR no. 933 dated 30/09/2016.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, (हवलदार) भर्ती नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में हवलदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, हवलदार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता-** वह व्यक्ति,-

जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हवलदार	1 * (एक) (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रु.) में ऐसे बहु-कार्य	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

			कर्मचारिवृंद, मेस बाँय, रसोइया, ज्येष्ठ सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।	2. उपनिदेशक (पुनर्वास) - सदस्य 3. प्रोफेसर (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास) - सदस्य 4. सहायक नर्सिंग अधीक्षक - सदस्य।	
--	--	--	---	--	--

[फा. सं. ए.11018/11/2021-एमएच-II/एनसीडी.1]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd May, 2022

G.S.R. 71.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, (Havaldar) Recruitment Rules 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Havaldar in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Havaldar (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications, level in the pay matrix. – The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Havaldar	01* (One) 2022 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No.	Not applicable	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion/deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff, Mess Boy, Cook, Senior Aid in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix with three years of regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee for considering the confirmation consisting of: 1. Additional Director 2. Deputy Director (Rehab) 3. Professor (Physical Medicine and Rehabilitation) 4. Assistant Nursing Superintendent	Not applicable.
	- Chairman, - Member, - Member, - Member.	

[F. No. A.11018/11/2021-MH.II/NCD.I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

सा.का.नि. 72.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई (तकनीशियन, ऑपरेशन थियेटर कक्ष) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई में तकनीशियन (ऑपरेशन थियेटर कक्ष) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, तकनीशियन (ऑपरेशन थियेटर कक्ष), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीशियन (ऑपरेशन थियेटर कक्ष)	02* (2022) *कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अरा जपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या	अनिवार्य अर्हताएं: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	63200 रुपये)		आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिला और कापांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा जाए।	ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन वय वसाय में कम से कम छह माह की अवधि का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। वांछनीय अर्हता: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण :1 अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण :2 अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	------------------------------	------------	--------------	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	हमाल या आया या स्ट्रेचर वाहक या परिचर्या अर्दली या वार्ड बॉय या ऑपरेशन थियेटर बॉय में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 1 (18000-56900 रुपये) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव ऑपरेशन थियेटर में कार्य करने का हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक -अध्यक्ष 2. मुख्य आयुर्विज्ञान अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) -सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक -अध्यक्ष 2. मुख्य आयुर्विज्ञान अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) -सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य।	लागू नहीं होता।

			जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. ए-11018/11/2017-एमएच II/एनसीडी]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2022

G.S.R. 72.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Technician, Operation Theatre Room) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician (Operation Theatre Room) in the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine, Mumbai, Technician (Operation Theatre Room), Group ‘C’ Post, Recruitment Rules 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age - limit, qualifications, etc. – The method of recruitment age - limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Technician (Operation Theatre Room).	02 (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).

Whether selection post or non-selection post.	Age - limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection.	Between 18 and 25 years of age. (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential qualifications: (i)12 class pass from a recognised Board with diploma or certificate course of not less than six months period in the Operation Theatre Technician trade. Desirable qualification: One year experience in Operation Theater from a Government recognised hospital. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from the category of Hamal or Ayah or Stretcher Bearer or Nursing Orderly or Ward Boy or Operation Theatre Boy with three years' regular service in level-1 in the pay matrix(Rs.18000-56900) the grade out of which minimum one year experience of working in Operation Theatre. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director -Chairman 2. Chief Medical Officer(Non-Functional Selection Grade) -Member 3. Concerned Head of Department -Member Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director -Chairman 2. Chief Medical Officer(Non-Functional Selection Grade) -Member 3. Concerned Head of Department -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/11/2017-MH.II/NCD.I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

सा.का.नि. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फरक्का बराज परियोजना अस्पताल (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ (स्त्री रोग विशेषज्ञ) और सहायक सर्जन/चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और आरम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना अस्पताल (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों की उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन किए जाने वाले व्यक्तियों अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा।	डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति:

		वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के अधीन जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, प्रोन्नति के लिए अपेक्षित शर्तें और निबंधन जिसके अंतर्गत न्यूनतम बैचमार्क भी है, पूरे किए हुए हों। टिप्पण 1: ज्येष्ठतम चिकित्सा अधिकारी फरक्का बैराज परियोजना अस्पताल के प्रमुख होंगे। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य और 3. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता।	40 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण – आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम या द्वितीय अनुसूची के या तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता (जो लाइसेंसिएट अर्हता से भिन्न है): परंतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में नियत शर्तों को भी पूरी करती होगी; (ii) स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति में विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा अर्थात् डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)/मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)/स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा; (iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान का दस वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचितयों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100 -177500 रु.) या समतुल्य पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अल्प कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से	विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग-सदस्य; और 3. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधिकारी	7* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'क'	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता।	35 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण – आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम या द्वितीय अनुसूची के या तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता (जो लाइसेंसिएट अर्हताओं से भिन्न है): परंतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की तृतीय अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में नियत शर्तों को भी पूरी करनी होगी। टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) द्वारा टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमार या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी: (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विकेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचितियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अल्प काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	---

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य; और 3. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/1/2022-ई.III]

ए के दास, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 6th May, 2022

GSR. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Farakka Barrage Project Hospital (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Medical Officer, Specialist (Gynaecology) and Assistant Surgeon/Medical Officer in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project Hospital (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non – selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Medical Officer	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted Group 'A'	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By In-situ promotion under Dynamic Assured Career Progression Scheme.

In case of recruitment by promotion, deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
In-situ Promotion Under Dynamic Assured Career Progression Scheme: Medical Officer in Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500/-) with four years regular service in the grade and fulfilling terms and conditions, including minimum benchmark, required for promotion under the Dynamic Assured Career Progression Scheme as may be specified by the	Departmental Promotion Committee 1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson 2. Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; and	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Government from time to time. Note 1: Senior most Medical Officer will be the Head of the Farakka Barrage Project Hospital. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Specialist (Gynaecology).	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted Group 'A'.	Level-11 (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	40 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)
Essential: (i) A recognised medical qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part – II of the Third Schedule (other than licentiate qualification) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956): Provided that holders of medical qualification included in Part- II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) shall also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the said Act; (ii) Post graduate degree or diploma in Gynaecology and Obstetrics namely Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology)/Master of Surgery (Obstetrics and Gynaecology)/ Diploma in Gynaecology and Obstetrics; (iii) three years experience in Gynaecology and Obstetrics after obtaining the post-graduate degree or five years experience in case of post-graduate diploma.	Not applicable	One Year for direct recruit

Note 1 :- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		
--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrators or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or statutory or autonomous organisation:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in a post in the level – 10 in the pay matrix (Rs. 56100 – Rs. 177500/-) or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of application.	Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson 2. Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member and 3. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Surgeon/ Medical Officer.	7* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non - Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-10 (Rs. 56100-177500).	Not applicable.	35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: A recognised medical qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part – II of the Third Schedule (other than licentiate qualification) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956): Provided that holders of medical qualifications included in Part – II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) shall also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the said Act. Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	One year for direct recruits	By direct recruitment failing which by deputation (including short term contract) Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; or (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 2: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee Consisting of:- 1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson 2. Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; and 3. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/1/2022-E-III]

A. K. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (सदस्य) भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (सदस्य) भर्ती (संशोधित) नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (सदस्य) भर्ती नियम, 2012, में सदस्य (वैज्ञानिक) और सदस्य (इंजीनियरिंग) के पदों के लिए स्तम्भ (11) में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के अंतर्गत टिप्पणी-2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी-2 पढ़ा जाए, अर्थात् :-

“प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

[फा. सं. ए-31011/02/2017-सीजीडब्ल्यूबी]

ए.के. साहू, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 249 दिनांक 13.10.2012 द्वारा प्रकाशित हुआ था।

New Delhi, the 10th May, 2022

G.S.R. 74.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Members) Recruitment Rules, 2012 namely :-

1. (i) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Members) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Members) Recruitment Rules, 2012 under Column No. (11) for the posts of Member (Scientific) and Member (Engineering) under Deputation (including short term contract), for the entry Note:2 the following Note:2 shall be substituted namely:-

“The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty eight (58) years as on the closing date of receipt of application”

[F.No. A- 31011/02/2017-CGWB]

A. K. SAHOO, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India vide GSR No. 249 dated 13.10.2012.

अंतरिक्ष विभाग

बंगलूरु, 9 मई, 2022

सा.का.नि. 75.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इनस्पेस) में उप निदेशक (प्रशासन), उप निदेशक (लेखा एवं वित्त), सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं सहायक निदेशक (लेखा एवं वित्त) के लिए समूह 'क' राजपत्रित पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. लघु शीर्षक और आरंभ - इन नियमों को उप निदेशक (प्रशासन), उप निदेशक (लेखा एवं वित्त), सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं सहायक निदेशक (लेखा एवं वित्त) इनस्पेस के लिए अंतरिक्ष विभाग भर्ती नियम, 2022 कहा जाए।

आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से ये प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता इत्यादि - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उप निदेशक (प्रशासन), उप निदेशक (लेखा एवं वित्त), सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं सहायक निदेशक (लेखा एवं वित्त) के लिए इस अनुसूची 1-4 के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. अपात्रता - कोई भी ऐसा व्यक्ति,

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है

अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

5. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
उप निदेशक (प्रशासन)	1	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रु. 123100-215900)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे अं.वि./इसरो में स्तर 13 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले कर्मिक एवं सामान्य प्रशासन संवर्ग के समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रधान, का.एवं सा.प्र./उप सचिव, जिन्होंने स्तर 12 में 5 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति की पात्रता पदों हेतु नामांकन की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्धारित तिथि के आधार पर तय की जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि पद के भर्ती नियम के अनुसार 5 वर्षों की होगी तथा जो उम्मीदवार की निरंतर उपयुक्तता, प्रशासनिक सुविधा तथा लोक हित के आधार पर 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। सातवें वर्ष के बाद और अवधि विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।	1. अं.वि./इसरो में अपर सचिव अथवा समतुल्य अधिकारी - अध्यक्ष 2. अं.वि./इसरो में संयुक्त सचिव (कर्मिक) अथवा समतुल्य अधिकारी - सदस्य 3. कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित - सदस्य 4. वैज्ञानिक सचिव, इसरो - सदस्य 5. अनिवार्य प्रतिनिधि	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट प्राप्त है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
उप निदेशक (लेखा एवं वित्त)	5	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रु. 123100-215900)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे अं.वि./इसरो में स्तर 13 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन संवर्ग के समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रधान, लेखा एवं आं.वि.स., जिन्होंने स्तर 12 में 5 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो। आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति की पात्रता पदों हेतु नामांकन की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्धारित तिथि के आधार पर तय की जाएगी।	1. अं.वि./इसरो में अपर सचिव अथवा समतुल्य अधिकारी - अध्यक्ष 2. अं.वि./इसरो में संयुक्त सचिव (कार्मिक) अथवा समतुल्य अधिकारी - सदस्य 3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित - सदस्य 4. वैज्ञानिक सचिव, इसरो - सदस्य 5. अनिवार्य प्रतिनिधि	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट प्राप्त है।

प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि पद के भर्ती नियम के अनुसार 5 वर्षों की होगी तथा जो उम्मीदवार की निरंतर उपयुक्तता, प्रशासनिक सुविधा तथा लोक हित के आधार पर 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। सातवें वर्ष के बाद और अवधि विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।		
---	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
सहायक निदेशक (प्रशासन)	1	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रु. 67700-208700)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे अं.वि./इसरो में स्तर 11 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन संवर्ग के समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी अथवा (i) अनुभाग अधिकारी – अंतरिक्ष विभाग, सचिवालय में नियमित आधार पर नियुक्त होने के बाद स्तर 8 में 8 वर्षों की सेवा प्रदान की हो; तथा (ii) प्रशासन अधिकारी: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	- अं.वि./इसरो में संयुक्त सचिव (कार्मिक) अथवा समतुल्य अधिकारी – अध्यक्ष - वैज्ञानिक सचिव, इसरो – सदस्य - केंद्र के प्रतिनिधि - बाह्य प्रतिनिधि - आंतरिक प्रतिनिधि	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट प्राप्त है।

में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रशासन अधिकारी के रूप में स्तर 10 की श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा प्रदान की हो। आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति की पात्रता पदों हेतु नामांकन की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्धारित तिथि के आधार पर तय की जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि पद के भर्ती नियम के अनुसार 5 वर्षों की होगी तथा जो उम्मीदवार की निरंतर उपयुक्तता, प्रशासनिक सुविधा तथा लोक हित के आधार पर 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। सातवें वर्ष के बाद और अवधि विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।	6. अनिवार्य प्रतिनिधि	
---	-----------------------	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
सहायक निदेशक (लेखा एवं वित्त)	1	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रु. 67700-208700)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे	1. अं.वि./इसरो में अपर सचिव अथवा समतुल्य	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के

अं.वि./इसरो में स्तर 11 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले लेखा एवं वित्त संवर्ग के समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी अथवा (i) लेखा अधिकारी - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात लेखा अधिकारी के रूप में स्तर 10 की श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा प्रदान की हो। आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति की पात्रता पदों हेतु नामांकन की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्धारित तिथि के आधार पर तय की जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि पद के भर्ती नियम के अनुसार 5 वर्षों की होगी तथा जो उम्मीदवार की निरंतर उपयुक्तता, प्रशासनिक सुविधा तथा लोक हित के आधार पर 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। सातवें वर्ष के बाद और अवधि विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।	अधिकारी - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सचिव, इसरो - सदस्य 3. 4. केंद्र के प्रतिनिधि 5. बाह्य प्रतिनिधि 6. आंतरिक प्रतिनिधि 7. अनिवार्य प्रतिनिधि	परामर्श से छूट प्राप्त है।
---	--	-----------------------------------

[फा. सं. ए-30011/1/2020-I]

संध्या वेणुगोपाल शर्मा, अपर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore the 9th May, 2022

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Gazetted post of Deputy Director (Administration), Deputy Director(Accounts & Finance), Assistant Director(Administration) and Assistant Director(Accounts & Finance) in Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (INSPACe) under Department of Space, namely :-

1. Short title and commencement - These rules may be called the Department of Space Recruitment Rules, 2022 for Deputy Director (Administration), Deputy Director(Accounts & Finance), Assistant Director (Administration) and Assistant Director (Accounts & Finance), INSPACe. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule 1-4 for Deputy Director (Administration), Deputy Director(Accounts & Finance), Assistant Director(Administration) and Assistant Director(Accounts & Finance)

4. Disqualification – No person , -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Deputy Director (Administration)	1	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	Level 13 (Rs. 123100 - 215900) in the Pay Matrix	Selection

Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not applicable	By Deputation

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
By Deputation: To be filled on deputation basis by Group A Gazetted Officer of Personnel & General Administration cadre of DOS/ISRO holding analogous post on regular basis in L-13. Or Head, P&GA / Deputy Secretary with 5 years of regular	1. Additional Secretary or equivalent grade in DOS/ISRO – Chairman 2. Joint Secretary (Personnel) or equivalent grade in DOS/ISRO –Member 3. Nominee of Department of Personnel and Training - Member	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission

service in Level 12 . Age Limit : Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years. The eligibility for deputation shall be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations for the posts. Tenure of Deputation : The period of deputation shall be as per the Recruitment Rules of the post which shall be 5 years and can be extended thereafter upto 7 years subject to his/her continued suitability, administrative convenience and in public interest. No further extension beyond the seventh year shall be considered.	4. Scientific Secretary, ISRO – Member 5. Mandatory Representatives	
---	---	--

Name of the post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Deputy Director (Accounts & Finance)	1	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	Level 13 (Rs. 123100 - 215900) in the Pay Matrix	Selection

Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for directs will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not applicable	By Deputation

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
By Deputation: To be filled on deputation basis by Group A Gazetted Officer of Accounts and Finance cadre of DOS/ISRO holding analogous post on regular basis in L-13. Or	1. Additional Secretary or equivalent grade in DOS/ISRO – Chairman 2. Joint Secretary (Personnel) or equivalent grade in DOS/ISRO –Member	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission

Head, Accounts & IFA with 5 years of regular service in Level 12 . Age Limit : Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years. The eligibility for deputation shall be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations for the posts. Tenure of Deputation : The period of deputation shall be as per the Recruitment Rules of the post which shall be 5 years and can be extended thereafter upto 7 years subject to his/her continued suitability, administrative convenience and in public interest. No further extension beyond the seventh year shall be considered.	3. Nominee of Department of Personnel and Training -Member 4. Scientific Secretary, ISRO – Member 5. Mandatory Representatives	
--	---	--

Name of the post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant Director (Administration)	1	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	Level 11 (Rs. 67700 - 208700) in the Pay Matrix	Selection

Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for directs will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not applicable	By Deputation

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
By Deputation: To be filled on deputation basis by Group A Gazetted Officer of Personnel & General Administration cadre of DOS/ISRO holding analogous post on regular basis in L-11.	1. Joint Secretary (Personnel) or equivalent grade in DOS/ISRO – Chairman 2. Scientific Secretary, ISRO – Member	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission

Or (i) Section Officer – 8 years service in Level 8 in the Department of Space, Secretariat rendered after appointment thereto on regular basis; and ii) Administrative Officer : 4 years service as Administrative Officer in the grade of L10 in Indian Space Research Organisation, rendered after appointment thereto on regular basis. Age Limit : Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years. The eligibility for deputation shall be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations for the posts. Tenure of Deputation : The period of deputation shall be as per the Recruitment Rules of the post which shall be 5 years and can be extended thereafter upto 7 years subject to his/her continued suitability, administrative convenience and in public interest. No further extension beyond the seventh year shall be considered.	3. Centre Representatives 4. External Representatives 5. Internal Representatives 6. Mandatory Representatives	
---	--	--

Name of the post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant Director (Accounts & Finance)	1	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	Level 11 (Rs. 67700 - 208700) in the Pay Matrix	Selection

Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for directs will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not applicable	By Deputation

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
By Deputation: To be filled on deputation basis by	1. Joint Secretary (Personnel) or equivalent grade in DOS/ISRO – Chairman	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission

Group A Gazetted Officer of Accounts and Finance cadre of DOS/ISRO holding analogous post on regular basis in L-11. Or Accounts Officer : 4 years service as Accounts Officer in the grade of L10 in Indian Space Research Organisation, rendered after appointment thereto on regular basis. Age Limit : Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years. The eligibility for deputation shall be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations for the posts. Tenure of Deputation : The period of deputation shall be as per the Recruitment Rules of the post which shall be 5 years and can be extended thereafter upto 7 years subject to his /her continued suitability, administrative convenience and in public interest. No further extension beyond the seventh year shall be considered.	2. Scientific Secretary, ISRO – Member 3. Centre Representatives 4. External Representatives 5. Internal Representatives 6. Mandatory Representatives	
--	--	--

[F. No.A.30011/1/2020-I]

SANDHYA VENUGOPAL SHARMA, Addl. Secy.

बेंगलूर, 9 मई, 2022

सा.का.नि. 76.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इनस्पेस) में अनुभाग अधिकारी के लिए समूह 'ख' राजपत्रित, समूह 'ख' अराजपत्रित की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. लघु शीर्षक और आरंभ - इन नियमों को अनुभाग अधिकारी, इनस्पेस हेतु अंतरिक्ष विभाग भर्ती नियम, 2022 कहा जाए।

आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से ये प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुभाग अधिकारी हेतु उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. अपात्रता - कोई भी ऐसा व्यक्ति,

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है

अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वर्तते, यदि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा ऐसा करना व्यवहारिक है, तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों से, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
अनुभाग अधिकारी, इनस्पेस	4	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु.47600-151100)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा अं.वि. सचिवालय/इसरो के पदाधिकारी

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा: प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे (क) नियमित आधार पर सदृश पद (अनुभाग	विभागीय पदोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे :	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट प्राप्त है।

अधिकारी) धारण करने वाले अधिकारी अथवा (क) अं.वि. एवं इसरो में बिना किसी सेवाकालीन अवधि के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100) में वरिष्ठ परियोजना सहायक, वरिष्ठ वैयक्तिक सचिव, निजी सचिव/वैयक्तिक सचिव तथा परियोजना वैयक्तिक सचिव (ख) अं.वि. एवं इसरो में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदत्त श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु.35400-112400) / स्तर 7 (रु. 44900-142400) में सहायक, वरिष्ठ सहायक तथा वैयक्तिक सहायक; (ग) इसरो में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इसरो द्वारा प्रदत्त श्रेणी में न्यूनतम 2 वर्षों की सेवा के साथ स्तर 7 (रु.44900-142400) में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा न्यूनतम 7 वर्षों की सेवा के साथ स्तर 6 (रु.35400-112400) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्षों से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति की पात्रता पदों हेतु नामांकन की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्धारित तिथि के आधार पर तय की जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि पद के भर्ती नियम के अनुसार 5 वर्षों की होगी तथा जो उम्मीदवार की निरंतर उपयुक्तता, प्रशासनिक सुविधा तथा लोक हित के आधार पर 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। सातवें वर्ष के बाद और अवधि विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।	(1) संयुक्त सचिव, अं.वि. - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (वित्त) अं.वि. - सदस्य (3) वैज्ञानिक सचिव, इसरो - सदस्य (4) निदेशक/उप सचिव अं.वि. - सदस्य (5) अनिवार्य प्रतिनिधि	
--	---	--

[फा. सं. ए-30011/1/2020-1]

संध्या वेणुगोपाल शर्मा, अवर सचिव

Bangalore the 9th May, 2022

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Gazetted, Group 'B' Non-Gazetted, for Section Officer in Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (INSPACe) under Department of Space, namely :-

1. Short title and commencement - These rules may be called the Department of Space Recruitment Rules, 2022 for Section Officer, INSPACe.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule for Section Officer.

4. Disqualification – No person , -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Section Officer, INSPACe	4	General Central Services Group 'B' (Gazetted)	Level 8 (Rs. 47600 - 151100) in the Pay Matrix	Selection

Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for directs will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not applicable	By Deputation from officials of DOS Secretariat / ISRO

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
By Deputation: To be filled on deputation basis by (a) Officers holding analogous post (Section Officer) on regular basis. Or a) Senior Project Assistants, Senior Personal Secretaries, Private Secretaries/Personal Secretaries and Project Personal Secretaries in DOS and ISRO in Level 8 (Rs. 47600 - 151100) in the Pay Matrix without any residency period. (b) Assistants, Senior Assistants and Personal Assistant in DOS and ISRO in Level 6 (Rs.35400-112400)/Level 7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix with a minimum of 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; (c) Senior Translation Officer in Level 7 (Rs.44900-142400) with a minimum of 2 years service and Junior Translation Officer in Level 6 (Rs.35400-112400) with a minimum of 7 years service in the Grade in ISRO rendered after appointment thereto on regular basis in ISRO. Age Limit : Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years. The eligibility for deputation shall be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations for the posts. Tenure of Deputation : The period of deputation shall be as per the Recruitment Rules of the post which shall be 5 years and can be extended thereafter upto 7 years subject to his /her continued suitability, administrative convenience and in public interest. No further extension beyond the seventh year shall be considered.	Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Joint Secretary : Chairman DOS 2. Joint Secretary (Finance) : Member DOS 3. Scientific Secretary : Member ISRO 4. Director/ : Member Deputy Secretary DOS 5. Mandatory Representatives	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission

[F. No. A-30011/1/2020-I]

SANDHYA VENUGOPAL SHARMA, Addl. Secy.